

144

दिनांक 06.05.2022 को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सीतापुर के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर जल उपलब्ध कराने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे :-

- 1- श्री अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- श्री राकेश कुमार पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 3- श्री आलोक पटेल, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 4- श्री मनोज कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 5- श्री अजीत कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर।
- 6- श्री विशाल पोरवाल, अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, शारदा नहर, सीतापुर।
- 7- श्री रामेश्वर सिंह, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सीतापुर।
- 8- श्री नवदीप त्यागी, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 9- श्री सुनील सिंह, परियोजना निदेशक, मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनमपल्ली रोड, मनपक्कन, चेन्नई।
- 10- श्री चन्द्रशेखर राव, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनमपल्ली रोड, मनपक्कन, चेन्नई।
- 11- शिक्षा भारती (आई.एस.ए.) के प्रतिनिधि।
- 12- नवनीत फाउन्डेशन (आई.एस.ए.) के प्रतिनिधि।
- 13- निदान सामाजिक सेवा संस्थान (आई.एस.ए.) के प्रतिनिधि।
- 14- हेल्पिंग यूथ फाउन्डेशन के प्रतिनिधि।
- 15- नव चेतना विकास समिति के प्रतिनिधि।
- 16- डी०पी०एम०यू० के समस्त कर्मचारी।

सर्वप्रथम बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मे० एल० एण्ड टी० एवं मे० एन०सी०सी० को आवंटित ग्रामों की भौतिक प्रगति, भूमि प्रस्ताव तथा डी०पी०आर० की समीक्षा की गयी, स्थिति निम्नवत् है:-

मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, लि०-

- 1- मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, को पूर्व में 800 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 555 ग्राम पंचायत का आवंटन किया गया था, परन्तु पूर्व में आवंटित सूची में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में कुछ राजस्व ग्राम छूटे हुये थे एवं कुछ ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण आंशिक संशोधन किया गया है। वर्तमान में संशोधन के पश्चात् 800 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 563 ग्राम पंचायत हो गयी है। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बदले गये राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायतों का अनुमोदन कराने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया। मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटित 563 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 352 ग्राम पंचायतों की डी०पी०आर० तैयार कर प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें 286 ग्राम पंचायतों का ड्राई पार्टी एग्रीमेन्ट हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को अवशेष 211 नग डी०पी०आर० शीघ्र ही तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
- 2- मेसर्स एल० एण्ड टी० के परियोजना निदेशक श्री सुनील सिंह के द्वारा अवगत कराया कि जिन ग्राम पंचायतों में वोरवेल का कार्य पूर्ण किये बिना सिविल कार्य कराये जा रहे हैं, वह समस्त कार्य मेसर्स एल० एण्ड टी० द्वारा अपने रिस्क एवं लागत पर करा रही हैं। यदि भविष्य में वोरवेल एवं पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं पायी जाती है तो कराये गये सिविल कार्यों का भुगतान फर्म द्वारा नहीं लिया जायेगा।
- 3- मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० द्वारा अवगत कराया गया कि 31 रिग मशीन के सापेक्ष वर्तमान 10 रिग मशीन ही उपलब्ध है जिनमें 286 नग स्वीकृत डी०पी०आर० के सापेक्ष 31 ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है। दिनांक 28.03.2022 को सम्पन्न बैठक में मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० द्वारा 04 नग वोरवेल पूर्ण दिखाये गये थे और वर्तमान में भी 04 नग प्रदर्शित किये गये हैं, जो कि अत्यन्त निराशाजनक है। प्रगति अत्यन्त कम होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों के कार्यों का सम्पादन हेतु वार-चार्ट प्रस्तुत कर कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

V. Ramy

मै० एन०सी०सी० लि०, को पूर्व में 500 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 327 ग्राम पंचायतों का आवंटन किया गया था, परन्तु पूर्व में आवंटित सूची में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में कुछ राजस्व ग्राम छूटे हुये थे एवं कुछ ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण आंशिक संशोधन किया गया है। वर्तमान में संशोधन के पश्चात् 500 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 325 ग्राम पंचायत हो गयी है। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बदले गये राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायतों का अनुमोदन कराने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया। आवंटित 325 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 264 ग्राम पंचायतों की डी०पी०आर० तैयार कर वर्तमान तक प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 141 ग्राम पंचायतों का ट्राई पार्टी एग्रीमेन्ट हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० एन०सी०सी० लि० को अवशेष डी०पी०आर० शीघ्र ही तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। मै० एन०सी०सी० लि०, के प्रोजेक्ट मैनेजर चन्द्रशेखर राव द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष डी०पी०आर० एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मेसर्स एन०सी०सी० लि० द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 143 ग्राम पंचायत के सापेक्ष 86 ग्राम पंचायत में कोरिंग, 34 ग्राम पंचायत में पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है।

आई०एस०ए० के कार्यों की समीक्षा-

- 1- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में हेल्पिंग यूथ फाउन्डेशन, शिक्षा भारती, नवनीत फाउन्डेशन, निदान सामाजिक संस्थान एवं नव चेतना विकास समिति के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त आई०एस०ए० के अवशेष कार्य को पूर्ण करने, कराये गये कार्यों के भुगतान एवं नये कलेक्टर का आवंटन आदि पर समीक्षा की गयी।
- 2- जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृति ग्राम पंचायत में पेयजल योजना के कार्य लागत समस्त आई०एस०ए० को उपलब्ध करायी जाय, जिससे की आई०एस०ए० द्वारा अंशदान वसूली का कार्य किया जा सके एवं साथ ही साथ आई०एस०ए० को आवंटित ग्राम पंचायत की सूची मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० एवं मेसर्स एन०सी०सी० लि० को उपलब्ध करायी जाये। जिससे कि समन्वय स्थापित कर कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न किया जा सकें।
- 3- जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जल निगम द्वारा निर्मित 49 पेयजल योजनाओं की सूची अपने स्तर से समस्त आई०एस०ए० को उपलब्ध कराये, जिससे की ग्राम पंचायतों में जल कर वसूली हेतु लोगों को जागरूक किया जा सके।
- 4- बैठक में आई०एस०ए० नागेश्वर के कोई प्रतिनिधि उपस्थिति नहीं हुये, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि आई०एस०ए० नागेश्वर, के कार्य समाप्त कर दिये जाये एवं इनका भुगतान न किया जाये तथा इनको आवंटित कार्य किसी अन्य आई०एस०ए० आवंटित कर दिये जाये।
- 5- जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त आई०एस०ए० को डी०पी०एम०यू० से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक गाँव में जन जागरूकता अंशदान एवं ऑन लाइन पोर्टल पर कार्यों की फीडिंग हेतु निर्देशित किया गया।

डी०पी०एम०यू० के कार्यों की समीक्षा-

- 1- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में डी०पी०एम०यू० के समस्त अधिकारी/कर्मचारी श्री अमन सचान, श्री वरुणेश कुमार शुक्ला, श्री मुदित मिश्रा, श्री संदीप कुमार, श्री फहद अहमद, श्री दिवाकर कुमार एवं स्वेता सचान उपस्थित रहे एवं सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के दौरान स्वेता सचान मांगी गयी सूचना का सन्तोषजनक जवाब न दिये जाने के कारण मुख्य विकास अधिकारी द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि अगली बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थिति हो।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वेता सचान, हटाने हेतु आर्ची एसोसिएट को पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया।

मेसर्स सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०) के कार्यों की समीक्षा-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक में मेसर्स सेन्सिस टेक लि० के प्रतिनिधि श्री नरदीप त्यागी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, वितरण प्रणाली (पाइप लाइन) के स्पेसिफिकेशन के सम्वन्ध में जानकारी ली गयी एवं कार्यों की गुणवत्ता हेतु ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य को सम्पादित कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

88

7

no
2020

V. Kumar

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अन्य विभागों से रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त करने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0, सिंचाई विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ अगले हफ्ते में बैठक हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर को निर्देश दिये।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फील्ड टेस्ट हेतु उजाला वेलफयर सोसाइटी को निर्देशित कर प्रत्येक बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करने, मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 एवं मे0 एन0सी0सी0 लि0 के भूमि सम्बन्धी प्रकरण की सूची प्राप्त कर इसके निराकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर को निर्देश दिये।
3. जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर को निर्देश दिये गये कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अगली जो भी बैठक हो उसमें मुख्य अभियन्ता से डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति के बाद जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति/अनुमोदन हेतु डी0पी0आर0 प्रस्तुत करें। डी0पी0आर0 की सूची में Per Capita Cost का भी उल्लेख हो।
4. जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर को निर्देश दिये गये कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ग्राम पंचायत के नामों की सूची जिला पंचायती राज अधिकारी के कार्यालय में जमा करायी जाये।
5. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 एवं मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देश दिये गये कि डी0पी0आर0 बनाने में अनावश्यक पाइप लाइन न सम्मिलित की जाये।
6. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 एवं मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देश दिये गये कि रोड कटिंग का कार्य मशीन के द्वारा किया जाये और शीघ्रातिशीघ्र रोड पुर्नस्थापन का कार्य मानक के अनुसार करा दिया जाये।
7. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 एवं मे0 एन0सी0सी0 लि0 को निर्देश दिये गये कि जिन ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ होने के दौरान भूमि सम्बन्धी कोई विवाद की स्थिति है तो उन ग्राम पंचायतों की सूची अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त करते हुए समस्त अधिकारियों, निर्माण हेतु कार्यदायी फर्मों (मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो लि0 एवं मे0 एन0सी0सी0 लि0) टी0पी0आई0, आई0एस0ए0 एवं डी0पी0एम0यू0 को अपने-अपने दायित्वों को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
सीतापुर
(सदस्य सचिव)

अधिशासी अभियन्ता,
सीतापुर प्रखण्ड
शारदा नहर सीतापुर,
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी सीतापुर
(सदस्य)

जिला पंचायत राज
अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)

जिला विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)

मुख्य विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)

पृ0 संख्या: 222 / DWSM वेंक 105 दिनोंक 17/05/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 4- सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0 एजेन्सी), सीतापुर।
- 5- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनामल्ली रोड, मनपक्कन,चेन्नई।
- 6- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 एन0सी0सी0 लिगिटेड, एन0सी0 हाउस, 5वें तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद।
- 7- समस्त इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेन्सी, सीतापुर।
- 8- डी0पी0एम0यू0।

अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण),
(सदस्य सचिव)